वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियां

वस्त्र आयुक्त के आंचलिक कार्यालय, जिन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम से जाना जाता है, 8 स्थानों पर बसे हुए हैं यथा, अहमदाबाद, अमृतसर, कोलकाता, चेन्नई, कोइम्बतुर, कानपुर, मुंबई तथा नोएडा (दिल्ली) क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य निम्नानुसार हैं -

1. मंजूर संस्थापित क्षमता के कार्यान्वयन की प्रगति पर देख-रेख रखना
2. आयात तथा निर्यात नीति तथा प्रक्रियाओं का प्रबंधन तथा कार्यान्वयन
3. मिलों द्वारा हैंक यार्न बाध्यता की पूर्ति पर देख-रेख रखना
4. उपभोक्ता संरक्षण विनियमनों का कार्यान्वयन
5. वस्त्र मंत्रालय तथा वस्त्र आयुक्त की ओर से न्यायालयीन मामलों को निपटाना
6. मिलें बंद होने तथा पुनः चालू होने पर देख-रेख रखना
7. वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि (डीडब्ल्यूआरएफ) योजना के अंतर्गत पात्रता तथा संवितरण के संदर्भ में आवेदनों पर कार्रवाई करना
8. मिलों तथा विद्युतकरघा उद्योग के बारे में उपभोक्ताओं की शिकायतों पर ध्यान देना ।
9. क्षेत्रीय कार्यालयों के भौगोलिक अधिकार-क्षेत्र में आने वाले विद्युत करघा सेवा केन्द्रों का समक्ष पर्यवेक्षण करना ।
10. विकेंद्रित वस्त्र क्षेत्र को सहायता परामर्श तथा सुविधा जैसे पारवरलूम स्मॉल प्रोसेसरों को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को अपनाने के लिये प्रेरित करना, गुणवत्ता उन्नयन, निर्यात को प्रोत्साहन देना ।
11. आवधिक सर्वेक्षण, गणना अथक अध्ययन संपन्न करना, संकलित करना तथा समय-समय पर वस्त्रोद्योग संबंधी जानकारी को अद्यतन करना ।
12. स्टैंपिंग अधिनियम नियमित रूप से लागू करने के स्थान पर लघु विनिर्माताओं/व्यापारियों को कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने की पद्धति की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करना ।
13. विभिन्न मुद्दों अथवा उद्योग के समक्ष आनेवाली समस्याएं तथा उनके समाधान के संबंध में मुख्यालय तथा/अथवा मंत्रालय को सूचना उपलब्ध कराएं ।

उद्योग के आधुनिकीकरण के साथ ही क्षेत्रीय कार्यालय नीतिगत कार्य के स्थान पर वस्त्रोद्योग के विकास एवं आधुनिकीकरण के लिये मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे /क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक आधुनिक इकाइयों का दौरा करें, ताकि उसके बाद वे नये उद्यमियों/उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन कर सकें । क्षेत्रीय कार्यालयों ने इस दिशा में संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/मिलों के दौरों के आयोजन आरंभ कर दिये हैं । वस्त्र आयुक्त महोदय ने सभी अधिकारियों को सक्रिय होकर उद्योग जगत तथा जनसामान्य की समस्याओं का दृढ़ निश्चय से निराकरण करें ।

विद्युत करघा सेवा केन्द्रों की गतिविधियों

विद्युत करघा सेवा केन्द्रों के उद्देश्य निम्नानुसार व्यापक कर दिये गये हैं -

(क) विद्युत करघा बुनकरों तथा जो यह व्यवसाय करने के लिये इच्छुक है, उनको व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा कुशल बनाना, बुनाई का आवश्यक ज्ञान तथा कुशलता प्राप्त करने में उनकी सहायता करना ताकि बेतर गुणवत्ता के कपड़े के उत्पादन के लिये उनकी दक्षता तथा कुशलता बढ़े तथा उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो ।

(ख) करघों के कार्य-प्रचालन, करघों की देख-भाल तथा टयुनिंग, करघों की मरम्मत तथा सर्विसिंग संबंधी विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण प्रदान करना ।

(ग) प्रत्येक माह वृहत निर्धारित दिनों में बुनकरों के समूह का दौरा करना तथा उन्हें उत्पादकता तथा कार्यकुशलता बढ़ाने, अपव्यय कम करने तथा कम से कम संभव लागत पर कपड़े की क्षति कम करने संबंधी ज्ञान तथा तकनीक से अवगत कराना ।

(घ) विद्युतकरघा बुनकरों को आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण करने की पद्धति तथा अभिकरण तथा वित्तीय सहायता के लिये जिनसे संपर्क किया जा सकता है ऐसे अभिकरणों के बारे में मार्गदर्शन करना ।

(च) विद्युतकरघा इकाइयों, करघों तथा आधुनिकीकृत करघों की संख्या पर सांख्यिकीय जानकारी एकत्रित तथा संकलित करने के लिये वार्षिक सर्वेक्षण करना तथा इकाइयों के

उत्पादों के उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणवत्ता पर ऐसे आधुनिकीकरण के प्रभाव का आकलन करना ।

(छ) विद्युतकरघा बुनकरों को अपने उत्पादों के विपणन में मार्गदर्शन करना, इसमें उनको निर्यात के अवसर उपलब्ध कराना भी शामिल हैं ।

(ज) विद्युतकरघा क्षेत्र का परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

(झ) विद्युतकरघा क्षेत्र के हितार्थ संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करना एवं प्रदर्शनियां लगाना ।

(ट) विद्युतकरघा विकास संबंधी गतिविधियों को राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ समन्वित करना ।

(ठ) विद्युतकरघा क्षेत्र की समस्याओं की सुलझाने के लिये उचित क्षेत्रों को भेजने के लिये एजेंट के रूप में कार्य करना ।

(ड) तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना तथा

(ढ) डिजाइन विकास तथा कार्य-कलापों में विविधता लाने के बारे में विद्युतकरघा इकाइयों का मार्गदर्शन करना ताकि कार्य कम से कम खर्च में करने में उन्हें सुकरता हो ।